

“बिजनस पास्ट क अन्तगत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. धिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पञ्जायन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दु॥/ तक. 114-009/2003/20-01-03.”

425

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2009—फाल्गुन 15, शक 1930

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम, 1972 का सं. 53) की धारा 38-V की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राष्ट्रीय टायगर संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, की अनुशांसा पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को “अचानकमार टायगर रिजर्व” अधिसूचित करती है :-

अनुसूची

जिला	-	बिलासपुर
मंडल	-	बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल
तहसील	-	लोरमी, कोटा एवं गौरैला
अभ्यारण्य/परिक्षेत्र	-	अचानकमार अभ्यारण्य, बिलासपुर वनमंडल की खुडिया एवं लोरमी परिक्षेत्र तथा मरवाही वनमंडल की गौरैला, लमनी एवं बेलगहना परिक्षेत्र.
2.	टायगर रिजर्व का नाम	- अचानकमार टायगर रिजर्व

476

3. क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी. में) -

स. क्र.	क्षेत्र का प्रकार	आरक्षित वन (वर्ग कि. मी.)	संरक्षित वन (वर्ग कि. मी.)	कुल वन क्षेत्र (वर्ग कि. मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोर एरिया (Critical Tiger Habitat)	626.195	-	626.195
2.	बफर एरिया	248.902	38.920	287.822
कुल		875.097	38.920	914.017

4. अचानकमार टायगर रिजर्व, कोर एरिया (Critical Tiger Habitat) की सीमायें :-

- उत्तर** - जिला बिलासपुर तथा मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले की उभयनिष्ठ सीमा एवं लमनी परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 297, 293, 275, 276, 277 व 278 की दक्षिणी सीमा एवं बिलासपुर तथा मरवाही वन मंडल के संरक्षित वनखंड कक्ष क्र. 1214 तथा 1213 की दक्षिणी सीमा तक.
- पूर्व** - बिलासपुर एवं मरवाही वन मंडल की उभयनिष्ठ सीमा.
- दक्षिण** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 184, 185, 186, 161, 162 एवं 143, 142, 125, 104, 103, 93, 94, 100, 99, 98, 110, 111, 112, 549, 553, 554, 546, 544, 537, 526, 525, 501 की उत्तरी सीमा एवं खुड़िया टेंक की उत्तरी सीमा जो आरक्षित वन कक्ष क्र. 453, 452 के उभयनिष्ठ सीमा तक विस्तारित है.
- पश्चिम** - देवसा अग्नि रेखा जो उत्तर की ओर बिन्दरीनाला तक जाती है और वहीं से वनग्राम बोईरहा की दक्षिण सीमा के साथ आरक्षित वन कक्ष क्र. 392 की दक्षिणी सीमा तक, फिर खुड़िया और लमनी (अभ्यारण्य) उभयनिष्ठ परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा के साथ बिलासपुर और डिंडोरी जिले की सीमा तक. यह पूरी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 453, 454, 430, 392 और 393 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ है.

5. अचानकमार टायगर रिजर्व, बफर एरिया की सीमायें :-

- उत्तर** - जिला बिलासपुर तथा मध्यप्रदेश के डिंडोरी उभयनिष्ठ सीमा एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 407 एवं 416 के उभयनिष्ठ बिन्दु से आरक्षित वन कक्ष क्र. 259 की दक्षिणी सीमा लमनी परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्र. 260, 265 एवं 266 की पश्चिमी सीमा एवं गौरला परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्र. 1215, 1214, 1213, 1218 एवं 1220 की दक्षिणी सीमा तक.
- पूर्व** - गौरला परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्र. 1205, 1207 एवं 1133 की पश्चिमी सीमा, तपश्चात् संरक्षित वन कक्ष क्र. 1135, 1139, 1141, 1150, 1151 की पश्चिमी सीमा संरक्षित वन कक्ष क्र. 1159 की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा बेलगहना परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्र. 1163 की दक्षिणी सीमा एवं ग्राम सरगोड़ एवं परसापानी की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 172 की पूर्वी सीमा तक बिलासपुर एवं मरवाही वन मंडल की उभयनिष्ठ सीमा.
- दक्षिण** - लोरमी परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्र. 172 की पश्चिमी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्र. 168, 173, 174, 166, 165, 164, 163, 143 की उत्तरी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्र. 142, 125, 104 की पश्चिमी सीमा, तपश्चात् आरक्षित वन कक्ष क्र. 103, 93, 94, 96 एवं संरक्षित वन कक्ष क्र. 1537 की उत्तरी सीमा, ग्राम राम्हेपुर की पूर्वी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र. 550 की उत्तरी सीमा, ग्राम अधरिया-बरगन की उत्तरी सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्र. 1535, 1534 की उत्तरी सीमा, ग्राम गुनापुर की उत्तरी सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्र. 1533 एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 556, संरक्षित वन 1529 एवं आरक्षित वन 534, 537, 532, 499 की उत्तरी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र. 499 तथा 530 की पूर्वी सीमा एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 502 के मिलन बिन्दु तक मनियारी जलाशय की पूर्वी सीमा.

पश्चिम - आरक्षित वन कक्ष क्र. 502 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर मिलन बिन्दु 474 तक मनियारी जलाशय की उस सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र. 474 एवं वन ग्राम बिजराकछार की उत्तरी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्र. 475, 476, 469, 463 सलगी ग्राम आरक्षित वन कक्ष क्र. 424, 421, 420 औरापानी वन ग्राम एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 416 की पूर्वी सीमा, जो जिला डिण्डौरी एवं बिलासपुर को उभयनिष्ठ सीमा में मिलती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव।

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसूचना में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2 दिनांक 20-02-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव।

Raipur, the 20th February 2009

No. F 8-43/2007/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (4) of Section 38-V of Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act No. 53 of 1972) and on the recommendation on National Tiger Conservation Authority, Government of India, the State Government hereby notifies the area specified in the schedule below as "Achanakmar Tiger Reserve".—

SCHEDULE

District - Bilaspur
Division - Bilaspur and Marwahi Forest Division
Tehsil - Lormi, Kota and Gaurella
Sanctuary/Range - Achanakmar sanctuary, Khudia and Lormi range of Bilaspur Forest Division and Gaurella, Lamani and Belgahna Range of Marwahi Forest Division.

2. Name of Tiger Reserve - Achanakmar Tiger Reserve

3. Area (in Sq. Kms.) -

Sr. No.	Area	Reserve Forest (Sq. Kms.)	Protected Forest (Sq. Kms.)	Total Forest Area (Sq. Kms.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Core Area (Critical Tiger Habitat)	626.195	-	626.195
2.	Buffer Area	248.902	38.920	287.822
Total		875.097	38.920	914.017

4. Boundaries of Achanakmar Tiger Reserve Core Area (Critical Tiger Habitat)
North - Common boundary of Bilaspur and Dindori district of Madhya Pradesh, southern boundary of RF compt. No. 297, 293, 275, 276, 277, 278 of Lamni range, common boundary of Bilaspur and Marwahi Forest division and southern boundary of PF compt. No. 1214 & 1213.

478

- East** - Common Boundary of Bilaspur and Marwahi Forest division.
- South** - Northern boundary of reserve forest compt. No. 184, 185, 186, 161, 162 & 143, 142, 125, 104, 103, 93, 94, 100, 99, 98, 110, 111, 112, 549, 553, 554, 546, 544, 537, 526, 525, 501 and northern boundary of Khudia Tank up to common boundary of R. F. compt. No. 453 & 452.
- West** - Devsara Fire line which runs North wards up to Bindrinala on the Southern boundary of Forest village Boirha then along the southern boundary of R F compt. No. 392, common range boundary of Khudia and Lamni (Sanctuary) along with common boundary of Bilaspur and Dinodori Districts. Which is also the eastern boundary of RF compt. No. 453, 454, 430, 392, 393.

5. Boundaries of Achanakmar Tiger Reserve, Buffer Area

- North** - Common boundary of Bilaspur and Dindori district of Madhya Pradesh, common point of RF compt. No. 407 and 416 to southern boundary of RF compt. No. 259 and western boundary of RF compt. 260, 265, 266 of Lamni range & southern boundary of PF compt. No. 1215, 1214, 1213, 1218 & 1220 of Gaurella range.
- East** - Western boundary of the PF compt. No. 1205, 1207 & 1133 of Gaurella range, western boundary of PF compt. No. 1135, 1139, 1141, 1150, 1151, South-west boundary of F F compt. No. 1159, southern boundary of PF compt. No. 1163 of Belgahana range, western boundary of village Sargod and Paraspani and common boundary of Bilaspur and Marwahi forest division up to eastern boundary of compt. No. 172.
- South** - Western boundary of RF compt. No. 172 of Lormi range, northern boundary of RF compt. No. 168, 173, 174, 166, 165, 164, 163, 143, western boundary of RF compt. No. 142, 125, 104, then northern boundary of RF compt. No. 103, 93, 94, 96 and PF compt. No. 1537, eastern boundary of village Ramhepur, northern boundary of PF compt. No. 550, northern boundary of village Aghariya Bargaon, northern boundary of RF compt. No. 1535, 1534, northern boundary of village Gunapur, northern boundary of PF compt. No. 1533 RF 556 PF 1529 RF 534, 537, 532, 499, eastern boundary of RF compt. No. 499 and 530 and eastern boundary of Maniyori Tank up to meeting point of RF compt. No. 502.
- West** - Northern boundary of Maniyari Tank that starts from meeting point of RF compt. No. 502, to meeting point of 474, northern boundary of RF compt. No. 474, and forest village Bijrakachhar, eastern boundary of RF compt. No. 475, 476, 469, 463 village Salgi, RF compt. No. 424, 421, 420 forest village Aurapani and RF compt. No. 416 which meets the common boundary of Bilaspur and Dindori districts.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAUSHLENDRA SINGH, Secretary.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम, 1972 का सं. 53) की धारा 38-V की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राष्ट्रीय टायगर संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, की अनुशंसा पर राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को "उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व" अधिसूचित करती है :-

अनुसूची

- जिला - रायपुर एवं धमतरी
- मंडल - उदन्ती, पूर्व रायपुर एवं धमतरी वनमंडल
- तहसील - मैनपुर, गरियाबंद एवं नगरी
- परिक्षेत्र - उदन्ती एवं सीतानदी अभ्यारण्य, पूर्व रायपुर वनमंडल के धवलपुर परिक्षेत्र, उदन्ती वनमंडल के कुल्हाड़ीघाट, मैनपुर, तौरंगा, इंदागांव परिक्षेत्र एवं धमतरी वनमंडल के सांकसा परिक्षेत्र.